संख्या-87/2019/214/41-2019-64(बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 मार्च, 2019**

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के अनुदान संख्या-44 के कतिपय मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5475/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2018-19 दिनांक 26 नवम्बर 2018, पत्र सं0-5476/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2018-19 26 नवम्बर 2018 एवं पत्र सं0-5958/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तावानुसार संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में अंकित कतिपय मदों में हो रही बचत से कतिपय मदों में कम पड़ रही धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2018 बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय संगत नियमों के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या आर0ई-470/दस-2018 दिनांक 01 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग | वित्तीय वर्ष 2018-19 | (धनराशि रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452&80&104&03&00&01	927.00	200.00	200.00	197.97	729.03	3452&80&104&08&00&16	250.00	353.50	103.50	103.50	353.50
						3452&80&104&03&00&17	30.00	124.47	94.47	94.47	124.47
						3452&80&104&03&00&46	2.50	4.53	2.03	0.00	2.50
;kx&	**927.00**	**200.00**	**200.00**	**197.97**	**729.03**		**282.50**	**482.50**	**200.00**	**197.97**	**480.47**
3452&80&001&03&00&01	463.50	34.14	34.14	12.34	451.16	3452&80&104&03&00&02	2.00	5.35	3.35	1.35	3.35
						3452&80&104&03&00&09	15.50	21.49	5.99	5.99	21.49
						3452&80&104&03&00&11	4.00	5.15	1.15	0.00	4.00
						3452&80&104&03&00&15	6.50	13.08	6.58	5.00	11.50
						3452&80&104&03&00&16	2.00	11.22	9.22	0.00	2.00
						3452&80&104&03&00&49	7.20	15.05	7.85	0.00	7.20
;kx&	**463.50**	**34.14**	**34.14**	**12.34**	**451.16**		**37.20**	**71.34**	**34.14**	**12.34**	**49.54**
3452&80&001&03&00&02	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	3452&80&001&03&00&13	1.25	3.25	2.00	2.00	3.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

						3452&80&001&03&00&16	7.00	10.00	3.00	3.00	10.00
;kx&	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**		**8.25**	**13.25**	**5.00**	**5.00**	**13.25**
3452&80&800&14&00&20	7000.00	6800.00	1817.00	310.00	6690.00	3452&80&800&03&00&16	100.00	817.00	717.00	100.00	200.00
						3452&80&800&03&00&18	50.00	100.00	50.00	10.00	60.00
						3452&80&800&03&00&19	700.00	1410.00	710.00	200.00	900.00
						3452&80&800&03&00&42	100.00	400.00	300.00	0.00	100.00
						3452&80&800&04&00&42	20.00	60.00	40.00	0.00	20.00
;kx&	**7000.00**	**6800.00**	**1817.00**	**310.00**	**6690.00**		**970.00**	**2787.00**	**1817.00**	**310.00**	**1280.00**
महायोग				**525.31**						**525.31**	

नोट:- 1- स्तम्भ-1 में अंकित मदों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत की धनराशि का कारण: वर्तमान वितीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि की बचत संभावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण:- (1)-पर्यटन पुलिस में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्यरत कर्मियों के वेतन हेतु धनराशि की आवश्यकता है। (2)-विभाग में चतुर्थश्रेणी कार्मिकों के सेवानिवृत्ति उपरान्त सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से ही कार्य लिए जाने की अनुमति है साथ ही चतुर्थश्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति पर रोक होने तथा विभाग के कार्यकलाप, यथा-कुम्भ-2019 एवं प्रवासी भारतीय दिवस, वाराणसी, दीपोत्सव, अयोध्या, रंगोत्सव, बरसाना इत्यादि में वृद्धि के फलस्वरूप भी कार्मिकों की आवश्यकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त अन्य मदों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित बचत/व्ययाधिक्य के आधार पर मॉग का आंकलन कर धनराशि की मॉग की जा रही है। (3) शासकीय कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित धनराशि की आवश्यकता होगी। (4) विभाग द्वारा विभिन्न फर्मों से भिन्न-भिन्न प्रकार की कन्सल्टेन्सी सेवाएं ली जा रही हैं एवं कन्सल्टेन्सी फर्मों के अनुबन्ध इसके साथ-साथ पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधार्थ वन स्टाप ट्रैवल साल्यूशन पोर्टल से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारियों के साथ-साथ वायु, रेल, बस, टैक्सी, होटल आदि के आरक्षण की सुविधा भी प्रदान कराई जा रही है। इस पोर्टल के निर्माण एवं संचालन से संबंधित लम्बित देयकों के भुगतानार्थ धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रदर्शनी मदों में भी कराए गए नवीन कार्यों के देयक कोषागार में भुगतान प्रक्रिया में हैं जिनके लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता है, साथ ही आलोच्य वर्ष में होली के अवसर पर ब्रजभूमि में भव्य रंगोत्सव कार्यक्रम, जनकपुर (नेपाल) से अयोध्या आए हुए अतिथियों के आवास-भोजन आदि की व्यवस्था, रानी-हो स्मारक की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरिमनी, महाराष्ट्र दिवस, टी.टी.एफ. पूणे, कोच्ची अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकोत्सव से संबंधित व्ययों को वहन करने एवं पूर्व के सृजित दायित्वों की पूर्ति हेतु मानक मद-42-अन्य व्यय में धनराशि की आवश्यकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग।

संख्या-आरई0-470/दस-2019 दिनांक 01 मार्च, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-87/2019/214(1)/41-2019-64(बजट)/2017 दिनांक 07 मार्च, 2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अयोध्या ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
7. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in